प्राक्कथन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन में बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के उद्देश्य से मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इस योजना को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों अर्थात इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमयूवाई के तहत 31 मार्च 2019 तक कुल 3.81 करोड़ कनेक्शन जारी किए गए थे। यह निष्पादन लेखापरीक्षा पीएमयूवाई के एक महत्वपूर्ण योजना होने के मद्देनजर की गई थी, जिसका काफी सामाजिक प्रभाव है।

इस प्रतिवेदन में अभीष्ट लाभार्थियों तक योजना की पहुंच के साथ साथ बीपीएल परिवारों के अस्वच्छ से स्वच्छ ईंधन में पारगमन की सीमा के संदर्भ मे कार्यान्वयन को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने में अभिलेख, सूचना एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए लेखापरीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण सैल तथा तीनों ओएमसीज (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) का आभार व्यक्त करना चाहती है।